

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक 2058 / त.शा/प्र.अ/लो.स्वा.यां.वि/2006
प्रति,

रायपुर, दिनांक 29-3-06

समस्त कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
खंड..... ।

विषय:- नलकूप स्थल पर नाली (Drain) निर्माण बाबत ।

प्रदेश के existing नलकूप स्थलों पर मार्गदर्शिका में प्रावधानानुसार 3 मीटर लम्बाई की नाली (Drain) का निर्माण किया गया है। 3 मीटर की लम्बाई कम होने के फलस्वरूप नलकूप स्थल के आसपास पानी भरजाने के कारण गन्दगी हो जाती है। जिससे नलकूप में प्रदूषण होने की संभावना बनी रहती है तथा गन्दगी के कारण मच्छरों एवं कीड़े मकोड़ों के कारण बीमारियाँ फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि existing नलकूपों की नालीयों (Drain) को आसपास के Natutal Drain तक निर्मित करने की कार्यवाही की जावे। इस कार्य हेतु आवश्यक प्राकलन बनाकर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जावे। यह कार्य सी.एस.पी. के संधारण मद से किया जावे।

इस प्रकार भविष्य में निर्मित किये जाने वाले नलकूपों पर भी उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे। साथ ही वर्तमान चालू अनुबंधों में भी नाली बढ़ाने हेतु आवश्यकतानुसार लम्बाई की नाली लेते हुए पुनरिक्षित प्राक्कलन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करलें।

सहपत्र :- शून्य ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर
रायपुर, दिनांक

पृ. क्र / त.शा/प्र.अ/लो.स्वा.यां.वि/2006

प्रतिलिपि:

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ~~रायपुर/बिलासपुर~~ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल रायपुर/दुर्ग/ बिलासपुर/ अम्बिकापुर एवं जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहपत्र :- शून्य ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर